भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पीसी-VII/ 91 | आरबीई सं. 15 /2018
सं.ई(पी एंड ए)II-2017-एएल-3 | नई दिल्ली, दिनांक: 30.01.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों/क्लीनिकों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) की दरों में संशोधन के संबंध में।

बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं.ई(पी एंड ए)।।-98/एचडब्ल्यू-6 (आरबीई सं.01/2008) के अनुसार रेलों पर अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए)/रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) लागू किया गया था। इसके बाद, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वित होने पर, बोर्ड के दिनांक 20.02.2013 (आरबीई सं.15/2013) और दिनांक 14.07.2014 (आरबीई सं.74/2014) के पत्र सं.ई(पी एंड ए)।।-2013-एएल-3 के तहत एचपीसीए/पीसीए की दरें संशोधित की गई हैं।

2. भारत सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय लेते हैं कि नव प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स (लेवल 8 एवं उससे कम के लिए ₹4100 और लेवल 9 एवं उससे ऊपर के लिए ₹5300) के आर1एच3 के अनुसार, अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए)/ रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) केवल मौजूदा अर्हक ग्रुप 'सी' और 'डी' (गैर-लिपिकीय) रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य होंगे।

3. एचपीसीए/पीसीए की संशोधित दरें 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी।

4. बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 (आरबीई सं.1/2008) और इस संबंध में अनुवर्ती पत्रों में यथा अंतर्विष्ट एचपीसीए/पीसीए की स्वीकार्यता से संबंधित अन्य निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी।

5. ये आदेश नोडल मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदेशों के जारी होने के बाद किसी भी आशोधन के अध्यधीन होंगे।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मोहम्मद अहमद)
उप निदेशक, ई (पी एंड ए)-।।
रेलवे बोर्ड

D:\MANOJ_E(P&A)II\Allowances\HPCA-PCA\General Orders\2017\HPCA-Hindi.docx

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एएल-3 **नई दिल्ली, दिनांक 30.01.2018**

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एएल-3 **नई दिल्ली, दिनांक 30.01.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

(1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।

(2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ

(3) महानिदेशक अ.अ.मा.सं., लखनऊ

(4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद

(5) प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज (वडोदरा)।

(6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।

(7) अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै।

(8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।

(9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेंद्रम।

(10) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।

(11) संपादक, 'भारतीय रेल, कमरा नं. 469, रेल भवन, नई दिल्ली।

(12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़' कमरा नं. 411, रेल भवन, नई दिल्ली।

(13) संपादक, 'रेल राजभाषा' कमरा नं. 543, रेल भवन, नई दिल्ली।

(14) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।

(15) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर) कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।

(16) निदेशक, कैमटेक/ ग्वालियर।

(17) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क) एमटीपी(आर) मुम्बई, (ख) एमटीपी (आर) चैन्नै।

(18) मुख्य परियोजना प्रशासक का कार्यालय (दूरसंचार), भारतीय रेल केन्द्रीय संगठन दूरसंचार परामर्श, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।

(19) मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद।

(20) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मध्य रेलवे, मुम्बई।

(21) निदेशक (संचालन) रेलें/कोलकाता।

(22) जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कॉम्पलेक्स, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

(23) महाप्रबंधक, सीएओ/एफओआईएस कार्यालय, उत्तर रेलवे, क्रिस कैम्प, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(24) मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742 लाजपत राय मार्केट, पी.ओ. बॉक्स नं. 2032, नई दिल्ली।

सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पीएंडए)II,
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एएल-3 **नई दिल्ली, दिनांक 30.01.2018**

प्रतिलिपि प्रेक्षित:-

(i) जनरल सेक्रेटरी/एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
(ii) जनरल सेक्रेटरी/एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।
(v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।
(vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
(vii) सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
(xi) जनरल सेक्रेटरी, गैर-लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन।
(xii) जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।
(xiii) सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप 'डी' इम्पलाइज़ एसोसिएशन।
(xiv) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।
(xv) ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन।
(xvi) जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गाँव।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

+++++